दां०प्र०क्र०–736/2022 शासन वि० मनीष कुमार

Witness No.....04.....for.....अभियोजन साक्ष्य.....Deposition taken

the.....17–03–2025.....day of.....Witness's apparentage.....53.....

States of affirmation.....शपथपूर्वक कथन.....my name is.....शंकर लाल साहू.....

Son of.....स्व. श्री नकुल राम साहू.....occupation.....सहायक उपनिरीक्षक.....

address.....थाना डभरा, जिला सक्ती (छ.ग.).....

प्रारंभ समय 12:55 बजे।

<u>राज्य द्वारा श्री अरविंद जायसवाल सहायक लोक अभियोजन अधिकारी ।</u>

01– मै अगस्त 2020 से मार्च 2024 तक थाना सक्ती मे सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था ।

02– मेरे द्वारा पदस्थापना के दौरान **दिनांक 20–08–2022** को मुखबीर से सूचना मिली **कि मनीष कुमार टंडन काफी मात्रा मे अवैध रूप से देशी प्लेन शराब एक सफेद थैला मे रखकर पैदल स्टेशन की तरफ जा रहा है,** जिस पर मेरे द्वारा **गवाह संजय चंद्रा एवं धनंजय चंद्रा की उपस्थिति में मुखबीर सूचना पंचनामा प्र०पी० 02 तैयार किया गया, जिसके स से स भाग पर मेरे हस्ताक्षर है । मेरे द्वारा कार्यवाही मे सहयोग हेतु उक्त गवाह को** धारा 160 का नोटिस देकर मौके पर पहुचने के लिये बोला गया, जो **प्र०पी० 2** है, जिसके स से स भाग पर मेरे हस्ताक्षर है ।

03– मेरे द्वारा मुखबीर के बताये अनुसार घटना स्थल पर जाकर आरोपी की तलासी लेने पर उसके कब्जे **से 34 नग देशी प्लेन शराब प्रत्येक मे भरा 180 एम एल कुल 6.12 लीटर शराब** बरामद हुआ । उक्त शराब के संबंध में दस्तावेज पेश करने बाबत आरोपी को स्वतंत्र **गवाहो** के समक्ष धारा 91 दंप्रसं. का नोटिस दिया गया, नोटिस **प्र०पी० 09** है, जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है तथा ब से ब भाग पर आरोपी के द्वारा कोई वैध् दस्तावेज न होना लेखकर दिया गया एवं स से स भाग पर आरोपी का हस्ताक्षर लिया गया । आरोपी द्वारा अपने पास शराब रखने के संबंध में कोई दस्तावेज पेश नही किये जाने से गवाहो के समक्ष आरोपी के कब्जे से बरामद शराब को जप्त कर सीलबंद किया गया, जप्ती पत्रक **प्र०पी०–04** है, जिसके स से स भाग पर मेरे व द से द भाग पर

आरोपी का हस्ताक्षर लिया गया है एवं ई से ई भाग पर सील नमूना लगाया गया। मेरे द्वारा मौके पर ही आरोपी को गवाहो के समक्ष गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तारी पत्रक **प्र०पी० 05** है, जिसके स से स भाग पर मेरे एवं द से द भाग पर आरोपी का हस्ताक्षर लिया गया है। मेरे द्वारा गवाहो का बयान लिया गया ।

04– मेरे द्वारा गवाहो के समक्ष घटना स्थल का नक्शा **प्र०पी० 06** तैयार किया गया, जिसके स से स भाग पर मेरे हस्ताक्षर है तथा लाल स्याही से चिन्हांकित स्थान ए घटना स्थल है । मेरे द्वारा आरोपी के विरूद्ध देहाती नाल्सी **प्र०पी० 10** दर्ज की गयी थी, जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है । कार्यवाही उपरांत **थाना सक्ती के अपराध क्र. 288/2022 में** आरोपी के विरूद्ध धारा 34–2 आबकारी अधिनियम के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया था, जो **प्र०पी० 11** है, जिसके अ से अ एवं ब से ब भाग पर मेरे हस्ताक्षर है । मेरे द्वारा उक्त जप्तशुदा शराब को मुलाहिजा हेतु वृत्त सक्ती प्रेषित किया गया, जो **प्र०पी० 12** है, जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है । मेरे द्वारा आबकारी विभाग से प्राप्त जांच रिपोर्ट को प्रकरण मे संलग्न किया गया है, उक्त जांच रिपोर्ट **प्र०पी० 01** है । संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र तैयार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

//प्रतिपरीक्षण वास्ते अभियुक्त सहित श्री अरविंद भारद्वाज अधिवक्ता उप.//

05– यह कहना सही है कि कौन से वाहन से हम लोग गये थे उसका उल्लेख मैने नही किया है । यह कहना सही है कि मुखबीर सूचना टेलीफोनिक थी या मौखिक थी उसका उल्लेख मैने प्रथम सूचना पत्र में नही किया है । यह कहना भी सही है कि कौन कौन से जगहो पर मै कार्यवाही करने गया था, इसका उल्लेख भी नही किया हूँ । यह कहना गलत है कि साक्षियो को धारा 160 का नोटिस नही दिया था । यह कहना सही है कि मैने गवाहो को धारा 160 का नोटिस किस स्थान मे एवं किस समय एवं किसके समक्ष दिया है उसका उल्लेख नही है । यह कहना गलत है कि मैने गवाहो का हस्ताक्षर कोरे कागजातो पर ले लिया था । यह कहना गलत है कि गवाहो के समक्ष कोई कार्यवाही नही किया है ।

06– यह कहना गलत है कि मैने गवाहो के समक्ष आरोपी से जप्ती पत्रक अनुसार शराब की जप्ती नही किया है । यह कहना सही है कि नजरी नक्शा तैयार करते समय मै गांव के कोटवार व पंच एवं

सरपंच का हस्ताक्षर नही लिया हूॅ । यह कहना सही है कि अभियुक्त को हम लोगो ने अपना जामा तलासी नही दिया था । यह कहना सही है कि अभियुक्त की जामा तलासी के पूर्व हम लोगो के पास क्या क्या सामग्रीया थी उसका पृथक से पंचनामा तैयार नही किया हूॅ । यह कहना सही है कि नजरी नक्शा में स्वतंत्र गवाहो का हस्ताक्षर नही लिया हूं ।

07– यह कहना भी गलत है कि अभियुक्त को धारा 91 का नोटिस नही दिया था । यह कहना गलत है कि मैने साक्षियो से कोरे कागज पर हस्ताक्षर करा लिया था । यह कहना भी गलत है कि आरोपी को मैने गवाहो के समक्ष विधिवत गिरफ्तार नही किया था । यह कहना गलत है कि साक्षीयो का बयान मैने नही लिया था । यह कहना भी गलत है कि मैने साक्षियो का कथन बढा चढाकर मिथ्या रूप से दर्ज किया है । यह कहना गलत है कि अभियुक्त को फंसाने के लिये मैने मिथ्या अभियोग पत्र तैयार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है । यह कहना सही है कि पेट्रोलिंग टाउन मे किस किस स्थान पर जाने को रवाना हुआ था, उसका उल्लेख मैने नही किया है । यह कहना गलत है कि मैने आरोपी को फंसाने के लिये झूठा मामला तैयार कर न्यायालय मे अभियोग पत्र पेश किया है । यह कहना गलत कि मैने संपूर्ण कार्यवाही थाने मं बैठकर किया हूं । यह कहना सही है कि जांच का लिटमस पेपर मैने प्रकरण मे संलग्न नही किया है ।

समाप्ति समय 01:05 बजे ।

वाचित सहित स्वीकृत।
सही/–
सुश्री शुभदा गोयल
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सक्ती,
जिला जांजगीर–चांपा (छ.ग.)

मेरे निर्देशन पर टंकित
सही/–
सुश्री शुभदा गोयल
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सक्ती,
जिला जांजगीर–चांपा (छ.ग.)